138

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर म0प्र0

R-2333-I/12

01/ घनश्याम पिता केशुराम धाकड़
02/ कोमल पिता केशुराम धाकड़,
03/ सीताबाई पति स्व0 केशुराम धाकड़
निवासीगण- ग्राम सागोद तह0 व जिला रतलाम म0प्र0 --------- प्रार्थीगण

वि रू द्ध

172
5/7/12

रतनलाल पिता हीरालाल धाकड़
निवासी- ग्राम सागोद तह0 व जिला रतलाम म0प्र0 -------- प्रतिप्रार्थी

अनिल 5-7-2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-6-2012 को अपील प्र0क्र0 405/2010-11 में

23-7-12

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है:-

-// प्रकरण का संक्षिप्त विवरण//-

01/ यह कि प्रार्थीगण आपस में माता व पुत्रगण है तथा ग्राम सागोद के स्थाई निवासी है। प्रतिप्रार्थी भी ग्राम सागोद का स्थाई निवासी है। प्रार्थीगण के स्वत्व, हित, आधिपत्य व अधिकार की कृषि भूमि ग्राम सागोद तह. व जिला रतलाम में सर्वे क्र. 231/1 रकबा 1.950 हैक्टर भूमि स्थित है। कि जो राजस्व लेखो में भी प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अंकित है।

02/ यह कि प्रतिप्रार्थी द्वारा वि0 तहसीलदार महोदय शहर रतलाम के न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिनांक 29-3-2008 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि उसके आधिपत्य में है इस कारण उसका नाम कब्जेदार के रूप में खसरा के कालमनंबर 12 में कब्जा दर्ज किया जावे। इस पर से वि0 तहसीलदार महोदय द्वारा प्र0क्र0 4-अ/6 2008-09 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की कि जिस कार्यवाही में प्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी करने का आदेशप्रदान किया गया है परन्तु इस कार्यवाही में प्रार्थीगण के विरूद्ध सूचना पत्र न प्राप्त करने का उल्लेख करते हुवे

कोमल
घनश्याम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2333-एक/2012

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 12-02-2013 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	